(2018) 7 एस.सी.आर. 1050

लोक प्रहरी,

सामान्य सचिव एस.एन. शुक्ला एवं एक अन्य के माध्यम से

बनाम

भारत का संघ,

सचिव और अन्य लोगों के माध्यम से

(सिविल अपील संख्या– 3898/2018)

16 अप्रैल, 2018

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

अभिनिर्धारितः 1.1 संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8ए पेंशन प्रदान करती है। (क) पूर्व सांसद और (ख) उनकी मृत्यु पर, उनके संबंधित जीवनसाथी को पेंशन दी जाती है। धारा 8एसी पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है।

भारत के किसी भी स्थान से भारत के किसी भी अन्य स्थान पर सभी ट्रेन यात्राओं में एक पूर्व सांसद के साथ एक व्यक्ति के लिए पास और जीवनसाथी/साथी के साथ ट्रेन से असीमित मुफ्त यात्रा। (पैरा 17) (1060–डी,ई, 1061–ए–बी,सी)

1.2 अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ गलत तरीके से आगे बढ़ती है। इस न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह यह धारणा कि संविधान के कुछ प्रावधान संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान अनिवार्य करते हैं। प्रासंगिक प्रवधानों के पाठ का सही और उचित निर्माण, पेंशन के भुगतान को अनिवार्य नहीं करता है। वे पेंशन की रक्षा केवल तभी करते हैं जब उन कार्यालयों में से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख को लागू प्रासंगिक कानून के तहत देय हो, यह घोषणा करते हुए कि ऐसी शर्त को उसके बाद के व्यक्ति के नुकसान के लिए बदलना नहीं जा सकता है।

नियुक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की आवश्यकताः तथापि, ऐसे पदों पर आसीन व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान करने का संवैधानिक दायित्व उन पदों के लिए प्रासंगिक संविधान की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए निहितार्थ से उत्पन्न हो सकता है। (2018) 7 एस.सी.आर.

उन कार्यालयों के धारकों को यह आश्वासन देकर कि या तो उन कार्यालयों में से प्रत्येक के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में विधायिका या कार्यपालिका के लिए स्वीकार्य है या

नहीं। विधायिका या कार्यपालिका उन्हें निष्छलता से दूर रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों से वंचित नहीं कर पाएगी, भले ही कोई निर्णय लिया गया हो। (पैरा 20) (1062–सी–एफ)

1.3 संविधान में कुछ संवैधानिक कायों के लिए संवैधानिक अधिकारियों को पेंशन के भुगतान के स्पष्ट संदर्भ है कार्यकर्ता और दूसरों के लिए नहीं। तथ्य यह है कि इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि संविधान अपनी खामोशी से भुगतान को प्रतिबंधित करता है।

इसे या तो संविधान या उनकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबधित कानूनों द्वारा सौपा गया है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि प्रत्येक संवैधानिक पदधारी शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार कार्य करता है और ऐसी पदों के धारकों को वश में करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों के प्रयास कि कुछ कार्यालयों को अपने कार्यालयों के धारकों से अपेक्षित अधिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए, कार्यालय के विभिन्न पहलुओं और उनके कार्यालयों के लिए प्रासंगिक सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालाँकि, जब सांसदों की बात आती है, तो स्पष्ट रूप से इतना उच्च स्तर का संवैधानिक संरक्षण नहीं है, यह आवश्यक है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार केवल उनके पास है। (पैरा 21) (1062–एच, 1063–ए–सी)

1.4 नियम और शर्तों के अधीन एक व्यक्ति का नितिगत चयन के आधार पर संवैधानिक पद पर आसीन होने के लिए नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। उपयुक्त विधायिका उन शर्तों को निर्धारित करने के लिए संवैधानिक रूप से नामित प्राधिकरण होगी। संवैधानिक कानून में यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायिका का नीति चयन करने के लिए अधिकार केवल संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं द्वारा सीमित, या तो एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा या संविधान की योजना से उत्पन्न होने वाले आवश्यक निहितार्थ संविधान द्वारा जो कुछ भी निषिद्ध नहीं है, वह विधायिका के लिए अनुमत है। (पैरा 22) (1063–डी–ई)

1.5 अपीलाथियों द्वारा दिए गए इस तर्क में एक भ्रांति है कि लोक प्रहरी , टी.एच.आर. के बाद राज्य के किसी कर्मचारी को पेंशन देय है उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात और चुँकि एमपीगण राज्य के कर्मचारी नही है। अतः वे पेंशन पाने के योग्य नही है और ना संसद पूर्व एमपीगणों को पेंशन देने के लिए सक्षम है। इस तरह की प्रस्तुति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि राज्य के पूर्व कर्मचारियों को किए गए कुछ भुगतानों को पेंशन कहा जाता है और राज्य के पूर्व कर्मचारियों की गलत धारणा है। अपीलकर्ताओं का कहना है कि 'पेंशन' कहा जाता है। राज्य द्वारा किये जाने वाले भुगतानों की कई अन्य श्रेणियां हैं जिन्हें 'पेंशन' कहा जाता है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन आदि। (पैरा 24) (1064–ए–सी)

1.6 सातवीं अनुसूची की सूची–1 की प्रविष्टि 73 के तहत आने वाले सांसदों के ''भत्ते'' की अभिव्यक्ति,

सांसदों या पूर्व सांसदों को ''पेंशन'' और विवादित प्रावधानों द्वारा कवर किए गए अन्य लाभों के भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अन्यथा सूची–1 की प्रविष्टि 97 भी संसद का अधिकार विवादित विधान को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। (पैरा 27) (1064–एफ–जी)

1.7 विवादित प्रावधानों के तहत बनाए गए विभिन्न लाभ है– यह प्रश्न विधायी नीति को चुनने/बदलने में संसद के विवेक की कक्षा में है कि क्या कुछ सांसदों की समृद्ध वित्तीय स्थिति या लाखों लोगों की गरीबी आदि को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत होना। ये न्यायसंगत मुद्दे नहीं हैं जैसा कि कॉमन कॉज द्वारा माना जाता है। (पैरा 31) (1066–ए–बी)

सामान्य कारण, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ (2002) 1 एससी.सी. 88: (2001)5 पूरक। एस.सी.आर. 323–अनुसरण किया गया।

डॉ.पी. नल्ला थम्पी तेराह बनाम। भारत संघ और अन्य (1995) पूरक एससीसी 189: (1985) पूरक। ए.सी.आर. 622: केरत राज्य बनाम एन.एम. थॉमस (1976) 2 एस.सी.सी. 310: (1976)1 एस.सी.आर. 906: कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) 4 एससीसी 608ः (1978) 2 एस.सी.आर. 1–निर्भर

मैककुलोच बनाम मैरीलैंड, 4 व्हीट. 316, 426–437, 4 एल.एड. 579 (1819): अलगापुरम आर. एवं अन्य बनाम तमिलनाडु विधान सभा, (2016)6, एससीसी 82ः (2016)6 एस.सी.आर. 611–संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

| | | |
|---|---|---|
| (2001) 5 पूरक. एससीआर 323 | के अनुसार | पैरा 3 |
| (1976) 1 एससीआर 906 | के अनुसार | पैरा 22 |
| (1978)2 एससीआर 1 | के अनुसार | पैरा 22 |
| (2016) 6 एससीआर 611 | में संदर्भित | पैरा 25 |
| (1985) पूरक. एससीआर 622 | के अनुसार | पैरा 31 |

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील 3798/2018

पी.आई.एल. सिविल मिस लेखन याचिका संख्या 1620 (एमबी) नं0– 1620/2004 में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनउ पीठ के विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 20.04.2016 के द्वारा।

एस.एन. शुक्ला, याचिकाकर्ता–व्यक्तिगत रूप से।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती कामिनी जैसवाल, सुश्री श्रुति दत्त, जतिंदर पाल सिंह, सुयश श्रीवास्तव, सुश्री रानी मिश्रा।

उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता, के.के. वेणुगोपाल, एजी, शिवमंगल शमौ, एजी, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्त, रोहित भट्ट, सुश्री अलंकृता सिन्हा, सारद कुमार सिंघानिया, बी.वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री मोनिशा हांडा मोहित डी. राम। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

चेलामेश्वर, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. उक्त चुनौती से यह एक रिट याचिका उत्पन्न होती है जिसने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में किए गए कुछ संशोधनों की संवैधानिक वैधता (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) चुनौती में दिये गये प्रावधान संसद सदस्यों को पेंशन और अन्य सुविधाओं के भुगतान से सम्बन्धित हैं। (इसके बाद ''सांसद'' के रूप में संदर्भित) और संसद के पूर्व सदस्य (इसके बाद ''पूर्व–एम.पी.एस.'' के रूप में संदर्भित), और उनके पति/पत्नी/साथी/ आश्रित (सामूहिक रूप से इसके बाद ''एसोसिएशन'' के रूप में संदर्भित)। प्रथम अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाओं की मांग कीः

1. संशोधन अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार घोषणा किया जाता है कि अधिनियम 30/1954 और विशेष रूप से संशोधन अधिनियम 9/2004 और संशोधन अधिनियम 40/2006 और संशोधन अधिनियम 37/2010 के प्रावधान, जिसमें पूर्व सांसदों/आश्रितों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन, जीवनसाथी और अन्य गैर–सदस्यों (साथी के अलावा) और पूर्व सांसदों के साथ–साथ यात्रा सुविधाओं का प्रावधान है।

सुविधाओं की निरंतरता, टेलीफोन कॉल के अप्रयुक्त कोटा के संबंध में बिजली और पानी की ईकाइयाँ संविधान और मूल अधिनियम के अधिकार से बाहर हैं।

2. उपरोक्त पैरा –1 में अन्य सुविधाओं का प्रावधान के अनुसारपूर्व सांसदों /आश्रितों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का तुरंत भुगतान के लिए विरोधी पक्षों को रोकने के लिए पैरा–1 से 4 तक एक आदेश जारी करें।

3. प्राप्तकर्ता के अवैध पेंशन/पारिवारिक पेंशन की वसूली का आदेश।

3. सामान्य कारण, पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ 2 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) में उच्च

न्यायालय ने सभी रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसद पूर्व सांसदों के लिए पेंशन पर कानून बनाने के लिए सक्षम है और इसके परिणामस्वरूप उसे कोई भी शर्त निर्धारित करने की शक्ति है जिसके अधीन पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। हम विधायी क्षमता के सवाल पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं।

4. जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या कोई विवादित संशोधन जो पूर्व के पक्ष में विभिन्न अधिकार पैदा करता है। सांसदों और उनकी संस्थाओं और सांसदों के लिए कुछ अन्य सुविधाओं को भेदभावपूर्ण बताते हुए भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह अपीलार्थी का मामला था कि सामान्य कारण का मामला इस संबंध मं चुप है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया कि अनुच्छेद 14 पर हमले को कॉमन कॉज द्वारा रोक दिया गया है।

5. हमारे सामने यह तर्क दिया जाता है कि कॉमन कॉज के अनुसार याचिकाकर्ता का तर्क कि अनुच्छेद 14 अधिनियम का उल्लंघन करता है, हालाँकि, इस मुछ्दे पर न तो कोई चर्चा हुई और न ही प्रश्न पर निर्णय हेतु कोई बाध्यकारी है। संसद सदस्यों के पक्ष में भेदभाव किया गया था, जब न्यायाधीशों के विपरीत, वे महाभियोग की प्रक्रिया के अधीन नहीं थे। 4. इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि विवादित प्रावधानों को चुनौती देना अस्वीकार्य है। हम वर्तमान मामले में अपनी जांच को विधायी के अलावा अन्य आधारों पर सामान्य कारण मामले के बाद लाए गए विभिन्न संशोधनों की योग्यता संवैधानिकता के सवाल तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं।

6. विभिन्न संवैधानिक कार्यालयों का निर्माण करने वाले संविधान के विभिन्न प्रावधान क्योंकि इनमें से कुछ प्रावधान कुछ संवैधानिक कार्यालयों के संबंध में पेंशन के भुगतान की संभावना पर विचार करते हैं, जबकि उसी का उत्तर देने के लिए, हम विश्लेषण के साथ शुरू कर सकते हैं, संविधान द्वारा बनाए गए अन्य विभिन्न कार्यालयों के संबंध में स्पष्ट संदर्भ दिया गया है।

7. अनुच्छेद 59 (3)3 में निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जो निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैंः–

6 खंड 2. (1) सेवानिवृत्त होने वाले राष्ट्रपतियों को पेंशन। राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करना बंद करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, या तो अपने पद की अवधि समाप्त होने पर या अपने पद से इस्तीफा देकर, अपने शेष जीवन के लिए प्रति वर्ष 6 लाख बीस हजार रूपये की पेंश का भुगतान किया जाएगा। ((2) इस संबंध में बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए हकदार होगा। (क) किराए के भुगतान के बिना सुसज्जित आवास (उसके रखरखाव सहित) का उपयोग करने

के लिए, एक टेलीफोन और एक मोटर–कार, निःशुल्क या ऐसे कार भत्ते के लिए जो नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है–

(ग) निःशुल्क चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के लिए (घ) भारत में कहीं भी, एक व्यक्ति के साथ, हवाई, रेल या स्टीमर द्वारा 9 सर्वोच्च श्रेणी द्वारा यात्रा करना। स्पष्टीकरण। इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए ''निवास'' का वहीं अर्थ होगा जो इसे मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952) लोक प्रहरी, एवं अन्य में सौंपा गया है।

8. अनुच्छेद 75(6) और अनुच्छेद 164(5) क्रमशः मंत्रियों के वेतन और भत्ते की गति जिसे संसद और राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित कर सकते है।

9. अनुच्छेद 978 और 186 में सभापति और उपसभापति और ससंद और राज्य विधानमंडलों के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के भुगतान का प्रावधान है। राष्ट्रपति को प्रदान की जाने वाली पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं का भुगतान, उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1997 में एक समान प्रावधान है।

10. संविधान के अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि सांसद 'वेतन और भत्ते' प्राप्त करने के हकदार होंगे जो उनके द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

विधान के माध्यम से संसद में पेंशन के भुगतान का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है।

11. दूसरी ओर, क्रमशः अनुच्छेद 125(2) और अनुच्छेद 221(2) में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पेंशन का भुगतान का प्रावधान है।

12. अनुच्छेद 148(2) में यह प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जैसा कि संसद में कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके परन्तुक में पेंशन के भुगतान का संदर्भ है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षण (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में शामिल है। इसमें उनके पद से हटने एवं पेंशन के भुगतान के लिए विभिन्न प्रावधान है।

13. अनुच्छेद 322 घोषित करता है कि लोक सेवा आयोग के वेतन का खर्च भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है और ऐसे खर्चों में आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को या उनके संबंध में वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं।

14. अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि ''चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें कार्यालय राष्ट्रपति की तरह होगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक–सामान्यः बशर्ते कि उप–धारा (1) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति

के मामले में इस उप–धारा के तहत स्वीकार्य पेंशन की कुल राशि प्रति वर्ष पंद्रह हजार रूपये या उप –धारा (2) या उप–धारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट उच्च पेंशन से अधिक नहीं होगी। पेंशन की राशि, जिसमें उसकी पेंशन का परिवर्तित भाग, यदि कोई हो और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन, यदि कोई हो, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करने से ठीक पहले उस सेवा के लिए लागू होने वाले नियमों के तहत उसे स्वीकार्य हो सकती है और व्यापार लेनदेन अधिनियम, 1991 निर्वाचन आयुक्तों को पेंशन के भुगतान का प्रावधान करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय पेंशन के बराबर है।

15. संवैधानिक योजना से यह देखा जा सकता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि संवैधानिक कार्यालयों में से किसी एक के संबंध में पेंशन के भुगतान के लिए जनादेश मौजूद है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेदों में कहा गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान देय पेंशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। निहितार्थ यह है कि यदि उनकी नियुक्ति के समय उक्त कार्यालयों में से किसी एक के किसी भी पदाधिकारी की सेवा शर्तों से संबंधित कानून पेंशन के भुगतान का प्रावधान करता है, तो कानून के ऐसे प्रावधान को पदाधिकारी के नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता है।

16. चुनौती के तहत प्रावधान दो श्रेणियों में आते है, (क) ऐसे प्रावधान जो सांसदों और उनके संघों को मुफ्त यात्रा आदि का अधिकार प्रदान करते हैं, और (2) ऐसे प्रावधान जो पूर्व सांसदों और उनकी संस्थाओं को पेंशन का लाभ और मुफ्त यात्रा आदि का अधिकार प्रदान करते हैं।

**<u>चुनौती के तहत प्रावधानः</u>**

17. अधिनियम की धारा 8ए पेंशन प्रदान करती है, (i) पूर्व एम.पी.गण को, (ii) उनकी मृत्यु पर पेंशन उनके संबंधित जीवनसाथी को। धारा 8 ए.सी. वैसे एम.पी.गण के मृत्यु पर उनके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि मूल रूप से अधिनियमित धारा 8ए में प्रावधान किया गया है कि एक सांसद, पेंशन के लिए पात्र होने के लिए संसद में चार साल का कार्यकाल पूरा कर चुका होना चाहिए। लेकिन इसके 2004 के संशोधन अधिनियम संख्या–9 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था।

अधिनियम की धारा 6बी (1) सभी सांसदों को देश में किसी भी स्थान से जीवनसाथी/साथी के साथ ट्रेन से असीमित यात्रा करने का अधिकार प्रदान करती है।

भारत में किसी भी अन्य स्थान पर, धारा 6बी(2) एक वर्ष में सांसद के सामान्य निवास स्थान से दिल्ली और संसद के सत्र में वापस आने के लिए 8 हवाई यात्राओं का प्रावधान करती है और सांसद

के जीवनसाथी का भी प्रावधान करती है। वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रथम श्रेणी एसी द्वारा एमपी असीमित ट्रेन यात्रा। धारा 8 एए पूर्व सांसदों और उनके संघों को यात्रा सुविधाओं का अधिकार प्रदान करती है। यह सभी रेल यात्राओं मं एक पूर्व सांसद के साथ जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए मुफत एसी–2 टियर पास और उनके द्वारा असीमित मुफ्त यात्रा प्रदान करता है। भारत में किसी भी स्थान से भारत में किसी भी अन्य स्थान पर अपने जीवनसाथी/साथी के साथ प्रशिक्षण लें।

18. इन प्रावधानों पर निम्नलिखित आधारों पर आपत्ति जताई गई हैः

(क) विभिन्न संवैधानिक पदधारकों को वेतन और अन्य देय भत्ते से सम्बन्धित संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रदर्शित भाषा में विरोधाभास से अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि संविधान सांसदों और पूर्व सांसदों को पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान की अनुमति नहीं देता है।

(ख) पूर्व सांसदों और उनके सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एसोसिएट उन लोगों के साथ व्यवहार करने के बराबर होगा, जिन्हें पेंशन के इस संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था, उन संवैधानिक कार्यालयों के बराबर जिनके पेंशन को स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया था। सांसदों को लाभ और कोई भी पोस्ट देना और उनके साथ समान व्यवहार करने से समानता के अधिकार उल्लंघन होगा।

(ग) विवादित प्रावधान अतार्किक और मनमाना हैं क्योंकि सभी पूर्व सांसदों को बिना उनके संबंधित कार्यकाल और आर्थिक स्थितियों पर विचार किये और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर ध्यान दिए पेंशन का अनुदान दिया जाना लोकहित के खिलाफ है।

(घ) करदाताओं और देश के करोड़ों करीब और जरूरतमंद लोगों के दृष्टिकोण से देखे जाने पर विवादित प्रावधान विधायिका का एक अनुचित और अन्यायपूर्ण संसद के अधिकार का अभ्यास है।

19. अब हम मूल निवेदन की जांच करेंगे– क्या पूर्व सांसद को अनुच्छेद 106 में मौन पेंशन के भुगतान के लिए निषेध के रूप में काम करता है।

20. अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ गलत धारणा पर आगे बढ़ती है कि संविधान के कुछ प्रावधान न्यायालय के न्यायाधीश संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान करते हैं। हम पहले ही संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों की भाषा की जांच कर चुके हैं। हमारी राय है कि उन प्रावधानों के पाठ के सही और उचित निर्माण पर, वे पेंशन के भुगतान को अनिवार्य नहीं करते हैं। वे पेंशन की रक्षा केवल तभी करते हैं जब उन कार्यालयों में से किसी एक में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख को लागू प्रासंगिक कानून के तहत देय हो, यह घोषणा करते हुए कि ऐसी शर्त को उसके बाद के व्यक्ति के नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता है।

हालांकि, व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान करने का संवैधानिक दायित्व जो ऐसे पद धारण करते हैं, वे उन पदों के लिए प्रासंगिक संविधान की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए निहितार्थ से उत्पन्न हो सकते हैं। उन पदों के धारकों को यह आश्वासन देकर उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि या तो विधायिका या कार्यपालिका उन्हें उनसे दूर रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों से वंचित नहीं कर पाएगी।

आधिकारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन मं उन कार्यालयों में से प्रत्येक के पदाधिकारी या तो विधायिका या विधानमंडल को स्वीकार्य है या नहीं। इस तथ्य के बावजूद कि निर्दोषता, द्वारा लिया गया निर्णय कार्यकारी है। हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए तथा हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम इस संबंध में कानून की कोई अंतिम घोषणा कर रहे हैं।

21. तथ्य यह है कि संविधान में कुछ संवैधानिक अधिकारियों के लिए पेंशन के भुगतान के स्पष्ट संदर्भ है और कुछ संवैधानिक कार्यालयों के के संबंधन में पेंशन दूसरों के लिए नहीं, हमारी राय में इस निष्कर्ष पर नहीं जाता है कि इस विश्लेषण का उद्देश्य केवल यह प्रदर्शित करने तक सीमित है कि संविधान अपनी खामोशी से उन संवैधानिक अधिकारियों को पेंशन के भुगतान पर रोक लगाता है। प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी संविधान या अपनी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित कानूनों द्वारा उसे सौंपी गई शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार कार्य करता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि कुछ कार्यालयों में उच्च डिग्री की आवश्यकता होती है। अपने पदों के धारकों से अपेक्षित स्वतंत्रता की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए निर्माता इतिहास और ऐसी पदों के धारकों को अपने अधीन करने के लिए सत्ता में बैठे लोगां के प्रयासों को जानते थे। इसलिए, कार्यकाल के विभिन्न पहलुओं और उनके कार्यालयों के लिए प्रासंगिक सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, जब सांसदों की बात आती है, तो स्पष्ट रूप से इतने उच्च स्तर के संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार केवल उनके पास है।

22. नियम और शर्तें जिनके अधीन संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति या तो नियुक्त या निर्वाचित है या नितिगत चयन हुआ है। उपयुक्त विधायिका उन शर्तों को निर्धारित करने के लिए संवैधानिक रूप से नामित प्राधिकरण होगी। यह संवैधानिक कानून में बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायिका को निरी बनाने का अधिकार है। चुनाव केवल संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं द्वारा सीमित है, या तो एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा या संविधान की योजना से उत्पन्न होने वाले आवश्यक निहिताथ द्वारा। यह मैककुलोच के मामले 2, 7 से शुरू होने वाला एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है और उसके बाद न्यायिक घोषणाओं की एक लंबी पंक्ति 28 है कि जो कुछ भी संविधान द्वारा निषिद्ध नहीं है वह विधायिका के लिए अनुमत है।

23. इसके अलावा अगर हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि वे सवैंधानिक पदाधिकारी जो संविधान के

पाठ के अनुसार पेंशन के हकदार है, एक अलग वर्ग बनाते है जो विशेष रुप से पेंशन के भुगतान के हकदार है, तो परिणाम यह होगा कि सीएजी, ससंद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या राज्य विधान मंडल और केन्द्र और राज्य के मंत्री पेंशन के हकदार नही होंगे।

24. अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक अन्य तर्क यह है कि राज्य के एक कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का भुगतान किया जाता है। वे राज्य के कर्मचारी नहीं है, वे पेंशन के हकदार नहीं हैं और न ही सांसद पूर्व सांसदों को पेंशन का भुगतान करने में सक्षम है। हमारी राय में, उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में एक भ्रांति है, क्योंकि यह आश्वासन देता है कि पेंशन केवल राज्य के पूर्व कर्मचारियों को देय है और किसी और को नहीं। इस तरह की प्रस्तुति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि राज्य के पूर्व कर्मचारियों को किए गए कुछ भुगतानों को पेंशन कहा जाता है और अपीलार्थियों की गलत धारणा है कि 'पेंशन' अभिव्यक्ति का केवल एक ही अर्थ हो सकता है। अन्य श्रेणियाँ भी हैं– सांसद के बाद से राज्य द्वारा किए गए भुगतान जिन्हें 'पेंशन कहा जाता है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन आदि। यह तक दिया जाता है कि सांसदों की गतिविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) द्वारा परिकल्पित ''व्यवसाय'' नहीं है और इसलिए, पूर्व सांसदों या उनके संघों को कोई पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

26. हमारी राय में इस तक को केवल अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बार फिर इस विश्वास पर आधारित है कि कानून में 'पेंशन' का अर्थ केवल अभिव्यक्ति है। अलगापुरम आर. मोहनराज में इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या विधान सभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अर्थ के भीतर कोई व्यवसाय कर रहा है। तथ्य यह है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत एक व्यवसाय नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि संसद को विभिन्न प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सांसदों को ऐसे भत्तों का भुगतान करने से प्रतिबंधित किया गया है।

27. हमारी राय में सातवीं अनुसूची, की सूची–I की प्रविष्टि 73 के तहत आने वालें सांसदों के भत्ते की अभिव्यक्ति पेंशन के भुगतान और सांसदों या पूर्व सांसदों को लागू प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले अन्य लाभों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। अन्यथा भी सूची –1 की प्रविष्टि 97 के तहत संसद का अधिकार इतना व्यापक है कि वह कॉमन कॉज द्वारा रखे गए विवादित कानून को कवर कर सके।

''कोई अन्य मामला जो सूची–2 या सूची–3 में सूचबद्ध नहीं है, जिसमें कोई भी कर शामिल है जिसका उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है। लोक प्रहरी एवं अन्य का सामान्य सचिव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया टीएचआर, सचिव (चेलामेश्वर, जे.)।

28. इस संदर्भ में अपीलार्थियों की भ्रांति को स्पष्ट करने के लिए हम संविधान सभा के दो प्रतिष्ठित सदस्य, डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर और श्री के.टी. शाह के द्वारा की गयी टिप्पणियों को याद कर सकते हैं।

29. भारत के राष्ट्रपति को लाभ पहुंचाते हुए, उन्हें पेंशन प्रदान करने की आवश्यकता पर बहस करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश डाला कि क्या संविधान सभा ने संसद सदस्यों को संवानिवृत्ति के बाद के लाभों को बाहर करने की मांग की।

''उन्होंने जो सामान्य दृष्टिकोण व्यक्ति किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद में सेवा की एक निश्चिम अवधि के बाद, सदस्य यह न सोचें कि यह किसी के लिए भी स्वीकार करने के लिए भी स्वीकार करने के लिए एक व्यावहारिक प्रस्ताव है। लेकिन इसलिए, जिस रूप में संशोधन पेश किया जाता है, मैं करता हूॅ। राष्ट्रपति सहित, किसी प्रकार की पेंशन का हकदार होना चाहिए, और मुझे लगता है कि यह एक प्रशंसनीय विचार है जिसे लागू किया गया है। ब्रिटिश संसद, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारा भविष्य संसद इस तथ्य को ध्यान में रखेगी।''

(जो दिया गया)

30. इस बात पर बहस करते हुए कि क्या व्यक्त करना आवश्यक था, राज्यपालों को उनके पद छोड़ने के बाद पेंशन के भुगतान का प्रावधान करते हुए श्री शाह ने कहाः

''उन व्यक्तियों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य जिनके पास है, वहीं इस उच्च स्तर तक बढ़ना है, जो अब सुरक्षित है। सभय देशों में हर कर्मचारी को एक वृद्धावस्था पेंशन, एक पेंशन या अति–वार्षिकी भत्ता, जिसकी गणना पर्याप्त रूप से की जाएगी। उसे जीवन के उस स्तर पर बनाए रखने के लिए जिसके वह आदि था काम पर रहते हुए पेंशन एवं वेतन है अस्थगित है, जिसका भुगतान काम के दौरान कार्यकर्ता को नहीं किया जाता है और सादृश्य यहाँ भी रहेगा। यह भी एक प्रकार का काम है–शायद अपनी तरह का सबसे उँचा, जिसे राज्य द्वारा पूरी तरह से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। पृथी पर शेष अवधि के लिए जिन दलों ने विशिष्ट रूप से राज्य की सेवा की है।

(जो दिया गया)

31. क्या विवादित प्रावधानों के तहत बनाए गए विभिन्न लाभ है, इस प्रश्न पर हमारा विचार है कि विधायी निति को चुनना/बदलना संसद के विवेक के दायरे में है। कुछ सांसदों की समृद्ध वित्तीय स्थिति या लाखों लोगों की गरीबी आदि को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत होना। ये न्यायोचित मुद्दे नहीं है। इस संदर्भ में, हम डॉ.पी. नल्ला थम्पी तेरा बनाम भारत संघ एवं अन्य में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का उल्लेख कर सकते हैं।

''यदि कानून के प्रावधान संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें निरस्त करना होगा। हालांकि, हम इस आधार पर किसी कानून को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हम उस नीति को स्वीकार नहीं करते है। जो इसके आधार पर है। क्या हो सकता है?

उदाहरण के लिए, न्यायालय ने नियम 90 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि भारतीय संदर्भ में एक लाख रूपये की सीमा बहुत अधिक है। हमारी अपनी प्राथमिकताएँ और धारणाएँ हो सकती हैं, लेकिन वे कानूनों को अमान्य करने के लिए उपयोग नहीं कर सकतीं।

32. इस अपील में एक आई.ए. दायर किया गया था, जिसका निपटारा किया जाना आवश्यक है। यह प्रत्यर्थी संख्या–5, भारत के चुनाव आयोग से था, जिसे दलों की श्रृंखला से हटाने की मांग की गई है। जिस पर प्रतिवादी संख्या–5 कहा है कि इस अपील में न तो उनसे कोई राहत मांगी गई है और नहीं कोई निर्देश मांगा है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से संवैधानिक चुनौती है।

आई.ए. स्वीकृत की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या–5 सारणी से हटा दिया जाता है।

33. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए अपील खारिज कर दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दी जाती है।

याचिका खारिज की जाती है।

संजय कुमार सिंह नं0–3
जिला एवं सत्र न्यायाधीश–पंचम,
व्यवहार न्यायालय, धनबाद।